

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
कृषि विज्ञान केंद्र, रोहतक

KVK/RTK/2026/866-878

Dated:- 11/9/2026

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केंद्र, रोहतक के फार्म पर निम्न कृषि कार्यो हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार अपना टेंडर फार्म कृषि विज्ञान केंद्र, रोहतक के कार्यालय में दिनांक 26.09.2026 को सुबह 10:00 बजे तक भिजवा दें अथवा व्यक्तिगत रूप से दे दें। निविदाये उसी दिन दोपहर 02:00 बजे खोली जाएगी। निविदाये खोलते समय यदि वह चाहे तो स्वयं उपस्थित रह सकते हैं। ठेकेदार 2 प्रतिशत अरनेस्ट मनी साथ लेकर आवे।

कार्य सूची

1	हेरोइंग करके खेत तैयार करना। इसमें कौनों की खुदाई, मेड़ की छंटाई आदि शामिल हैं।	(12.8 हेक्टेयर)
2	खेत समतल करना	(12.8 हेक्टेयर)
3	सीड ड्रिल से फसलों की बुवाई और बुवाई के बाद मेड़ बनाना	(12.8 हेक्टेयर)
4	कीटनाशक का मैन्युअल छिड़काव	(12.8 हेक्टेयर)
5	कसौला से हाथ द्वारा सूखी निराई-गुड़ाई	(12.8 हेक्टेयर)
6	नहर/ट्यूबवेल से सिंचाई	(4.0 हेक्टेयर)
7	रास्ता की सफाई	(16.6 हेक्टेयर)
8	चैनल की सफाई	
9	किन्नू और अमरूद के बाग में बागवानी कार्यो (जैसे जुताई, सिंचाई, निराई-गुड़ाई, कीटनाशक का छिड़काव आदि) को करना।	(0.8 हेक्टेयर)
10	अलग-अलग काम (जुताई, कटाई, छंटाई, सिंचाई, निराई-गुड़ाई, कीटनाशक का छिड़काव आदि) सफेदा और कृषि वानिकी (मालाबार नीम + गेहूं)	(2.8 हेक्टेयर)

1. अनुबंध और कार्य की अवधि

01.10.2026 to 20.03.2027

2. अनुमानित लागत

₹ 119800/-

3. टेंडर खुलने की तारीख

26.09.2026 at 02:00 PM

4. टेंडर फॉर्म की कीमत

Rs. 100/-+18% GST

5. टेंडर भरने के लिए टेंडर फॉर्म, 17 सितंबर 2026 से 26 सितंबर 2026 तक किसी भी कामकाजी दिन, कामकाजी घंटों (सुबह 09:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक) के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र, रोहतक के कार्यालय से लिए जा सकते हैं। ठीक से भरे हुए टेंडर फार्म जमा करने की आखिरी तारीख 26 सितंबर 2026 को सुबह 10:00 बजे तक है। टेंडर फॉर्म के साथ वरिष्ठ संयोजक, कृषि विज्ञान केंद्र, रोहतक के पक्ष में ₹ 2396/- का डिमांड ड्राफ्ट या नकद राशि होनी चाहिए।

शर्तें:-

कुटेशन 17.09.2026 से 26.09.2026 तक के लिए मान्य रहेगी वह श्रमिकों की संख्या व कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर नियत की जाएगी।

1. श्रमिकों की मजदूरी कार्य समाप्त होने के अगले मास की 7 तारीख तक ठेकेदार को देनी होगी।

2. श्रमिकों की मजदूरी इस अनुभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में देनी होगी।

3. कार्य पूर्ण करने की अवधि समय-समय पर सूचित की जाएगी और जो ठेकेदार कार्य को समय पर पूरा नहीं करेगा उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

4. ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन जो की सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिनियम-1948 के अनुसार तय होगी देनी होगी।
5. ठेकेदार को दो प्रतिशत आयकर देना होगा जो उसके बिल में से काट लिया जाएगा।
6. बिल का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर दिया जाएगा।
7. यदि ठेकेदार एक दिन में 20 या अधिक श्रमिक कार्य पर लगाएगा तो ठेकेदार को लाइसेंस देना होगा जिसका संबंध लेबर कार्यालय से होगा।
8. जिस ठेकेदार के नाम ठेका छुटेगा उसको समय-समय पर बताया गया कार्य निम्न हस्ताक्षरी अथवा उसके प्रतिनिधि की संतुष्टि के अनुसार करना होगा।
9. कंट्रोलिंग अधिकारी को हक होगा कि वह ठेके की अवधि से पहले भी ठेका रद्द कर सकता है।
10. ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी की वह प्रत्येक श्रम कानून का पालन करें तथा इसकी अवहेलना करने पर स्वयं उत्तरदाई होगा।

[Signature]
17/9/26
फार्म इंचार्ज

[Signature]
17/9/26
वरिष्ठ संयोजक
रोहतक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है:-

1. Incharge computer section CCS HAU, Hisar to upload on the website.
2. नगरपालिका, रोहतक।
3. सरपंच ग्राम पंचायत समरगोपालपुर, टिटोली, सुन्दरपुर, भगवतीपुर, सिंघपुरा।
4. जिला श्रम अधिकारी लघु सचिवालय रोहतक।
5. जिला उपायुक्त कार्यालय, रोहतक।
6. विस्तार शिक्षा निदेशक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
7. नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केंद्र, रोहतक।
8. बस स्टैंड, रोहतक।
9. रेलवे स्टेशन, रोहतक।